26 5/25 पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर। पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को अंतिम हिदायत की गई थी कि आगामी पेशी पर तामिल की रसीदें पेश करे, अन्यथा आदेश 9 नियम 5 के तहत आदेश पारित किया जावेगा लेकिन वकील वादी ने आज दिनांक तक तामिल की रसीदे पेश नहीं की। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
हरिरामगढ़ (सीकर)